रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228578
CG-DL-E-30072021-228578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
No. 304] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SRAVANA 7, 1943

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

सं. 1-सीए(7)/199/2021.—जबकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद ने अधिसूचना संख्या २८-आरसी(५)/७/८७ दिनांक २४ अगस्त, १९८७ के तहत १८ जुलाई, १९८७ से जम्मू में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित की थी, जिसे "आईसीएआई के एनआईआरसी की जम्मू शाखा" के रूप में नामित किया गया था।

जबकि, भारत सरकार ने ३१ अक्टूबर, २०१९ से जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है, अर्थात् केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर।

अब, इसलिए, अधिसूचना संख्या २८-आरसी(५)/७/८७ दिनांक २४ अगस्त, १९८७, के आंशिक संशोधन में, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि "आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू शाखा" का नाम बदल दिया गया है और इसे अब "आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू और कश्मीर शाखा" के रूप में जाना जाएगा। जम्मू और कश्मीर शाखा का अधिकार क्षेत्र अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अधिकार क्षेत्र के सभी सदस्यों और छात्रों को सम्मिलित करेगा।

जैसा कि विनियम १५९ (३) के तहत निर्धारित किया गया है, जम्मू और कश्मीर शाखा उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देश के अधीन कार्य करेगी और ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं।

सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./169/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/(199)/2021.—Whereas, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no 28-RC(5)/7/87 dated 24th August, 1987 had set up a Branch of the Northern India Regional Council for the State of Jammu and Kashmir at Jammu with effect from 18th July, 1987 which was named as "Jammu Branch of NIRC of ICAI".

Whereas, the Government of India has bifurcated the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories, namely, Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir with effect from 31st October, 2019.

Now, therefore, in partial modification of the notification no. 28-RC(5)/7/87 dated 24th August, 1987, it is hereby notified that name of the "Jammu Branch of NIRC of ICAI" has been changed and the same shall now be known as " Jammu and Kashmir Branch of NIRC of ICAI". The jurisdiction of Jammu and Kashmir Branch shall now cover all members and students within the jurisdiction of Union Territory of Jammu and Kashmir.

As prescribed under Regulation 159 (3), Jammu and Kashmir Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Northern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

[ADVT.-III/4/Exty./169/2021-22]

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.30 13:12:29 +05'30'